मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य-पद्धति

अध्याय II : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति

विशेषताएं

- विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार 15 अन्तर-विषयी केन्द्रों के खोलने की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र सात अन्तर-विषयी केन्द्र खोले गये।

(पैराग्राफ 2.2.2.1)

- शिक्षण - स्टाफ की अत्यन्त कमी थी एवं शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित मानक से अधिक था। विज्ञान संकाय में असफलता दर 50 प्रतिशत से अधिक ।

(पैराग्राफ 2.2.2.2, 2.2.2.3 और 2.2.2.4)

- विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि ₹ 35.07 करोड़ में से मात्र ₹ 14.09 करोड़ का ही उपयोग विश्वविद्यालय कर सका था।

(पैराग्राफ 2.2.6)

- विश्वविद्यालय छात्रावासों में, अनधिकृत कब्जे के साथ-साथ छात्रावास आवंटन की प्रतीक्षा सूची थी।

(पैराग्राफ 2.2.7.1)

- विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय ₹ 36.67 करोड़ के सापेक्ष ₹ 22.80 करोड़ की धनराशि का उपयोग कर सका। पुस्तकालय के पास उसके संसाधनों के संरक्षण हेतु कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था एवं मूल्यांकन पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो गयी थी। पुस्तकों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

(पैराग्राफ 2.2.7.2)

- अनुपयोगी निधियां, वर्ष 2006-07 में ₹ 64.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-2012 में ₹ 97.15 करोड़ हो गयी थीं।

(पैराग्राफ 2.2.8.1)

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि खाते पर ब्याज का भुगतान करने हेतु अनुरक्षण अनुदान की राशि का विचलन किया।

(पैराग्राफ 2.2.8.2)

- विरासत भवन की मरम्मत हेतु आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 2.2.9.2)

अनुशंसाएं:

- विभिन्न प्राधिकारियों की बैठकें आवश्यक अन्तराल के अनुसार आयोजित की जानी चाहिये, जिससे वे प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सके।
- विश्वविद्यालय को समयबद्ध ढंग से शेष केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए।
- विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण स्टाफ के रिक्त पदों को भरने हेतु कदम उठाये जाने चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- प.पा. एवं स.षि.स. द्वारा बी.ए. में नामांकन घटने के कारणों का निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।
- विश्वविद्यालय आई.क्यू.ए.सी. के क्रिया कलापों को उचित ढंग से व्यवस्थित करे एवं मान्यता हेतु आवेदन करे।
- विश्वविद्यालय अनधिकृत कब्जों की मॉनीटरिंग करें, और इसके बाद रिक्त कमरों को प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवंटित करे।
- विश्वविद्यालय अपने पुस्तकालय संसाधनों के संरक्षण हेतु उपयुक्त क्रियाविधि अपनाये।
- सा.वि.नि. 194 के अनुसार पुस्तकों का आवधिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाये।
- विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का अनुसरण करे।

2.1.1 प्रस्तावना

इलाहाबाद विश्वविद्यालय 23 सितम्बर 1887 को स्थापित हुआ था एवं यह कलकत्ता, मुम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद भारत का चौथा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत यह राज्य विश्वविद्यालय के रूप में पंजीकृत था। भारत सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) को एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के अंतर्गत 14 जुलाई 2005 से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। अधिनियम की धारा-6 के अनुसार विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अध्ययन की ऐसी शाखाओं में अनुदेशात्मक व अनुसंधान सुविधाओं द्वारा उन्नत ज्ञान को प्रसारित करना जैसा यह उपयुक्त समझे;
- विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत मानविकी, सामाजिक विज्ञान, मौलिक व प्रयोगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिये प्रावधान करना;
- अध्ययन-अध्यापन प्रकिया, अंतर-अनुशासनात्मक व्यवसायिक अध्ययन एवं अनुसंधान में नवप्रवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय करना, लिंग असमानता व आंकिक विभेद को दूर करना एवं सामाजिक उन्नति राष्ट्रीय विकास एवं मानव कल्याण हेतु ज्ञान का अनुप्रयोग करना एवं
- देश के विकास हेतु मानव संसाधन को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विश्वविद्यालय के 11 अंगीभूत महाविद्यालय, 32 विभागों सहित चार संकाय (विज्ञान, कला, वाणिज्य व विधि), तीन संस्थान एवं एक अंगीभूत संस्थान है (मार्च 2012)।

अधिनियम में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों का प्रावधान है:

(1) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे एवं विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह एवं परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) कुलपति (कु.) विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी हैं। कुलाधिपति अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा उप-कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(3) उप-कुलपति, कुलपति की सहायता करते हैं एवं कुलपति की अनुशंसा से कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

(4) संकायों में संकाय अध्यक्ष, अध्यापन व अनुसंधान के मानकों के संचालन व अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होता है एवं कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(5) कुल सचिव परिषद, कार्यकारी परिषद एवं शैक्षिक परिषद के पदेन सचिव होते हैं एवं चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

(6) वित्त अधिकारी वित्त समिति के पदेन सचिव होते हैं एवं विश्वविद्यालय की निधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करते हैं, एवं इसे अपनी वित्तीय नीतियों के अनुरूप सलाह देते हैं तथा चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

अधिनियम, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारियों का भी प्रावधान करता है:

i. परिषद;

ii. कार्यकारी परिषद;

iii. शैक्षणिक परिषद;

iv. संकायों का बोर्ड; तथा

v. वित्त समिति।

2.1.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत सम्पादित की गयी थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि आच्छादित थी, जिसमें प्राधिकारियों की भूमिका, शैक्षणिक गतिविधियां, अनुसंधान, सहायक सेवायें, वित्तीय प्रबंधन एवं संरचनात्मक विकास से संबंधित विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच सम्मिलित थी।

2.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह अभिनिश्चित करने के लिये की गयी थी कि क्या:

- अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों की भूमिका पर्याप्त व प्रभावकारी थी;
- शैक्षिक गतिविधियां दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से आयोजित एवं क्रियान्वित की गई थी;
- मानकों के अनुसार अनुसंधान एवं सलाहकारिता परियोजनाओं के कार्य को पूरा किया गया था तथा अभिप्रेत परिणाम प्राप्त किये थे;
- छात्र सहायता सेवायें जैसे छात्रावास व पुस्तकालय पर्याप्त थे;
- वित्तीय संसाधनों का दक्षतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रबंध किया गया था एवं
- विश्वविद्यालय ने अपने संरचना से संबंधित निर्माण कार्यों को दक्षतापूर्वक क्रियान्वित किया था।

2.1.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड जहां से प्राप्त हुए:

- इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) एवं अन्य अभिकरणों के अनुदानों की नियम एवं शर्तें;
- वि.अ.आ. एंव मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) के दिशानिर्देश/ आदेश; एवं
- कोर्ट, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति इत्यादि की बैठकों के कार्यवृत्त

2.1.7 लेखापरीक्षा पद्धति

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2011 में कुलपति के साथ परिचयात्मक बैठक के साथ आरम्भ हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानकों, कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली पर चर्चा की गयी। जून 2011 से फरवरी 2012 के दौरान विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जाँच की गयी थी। विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा का मसौदा 3 अप्रैल 2012 को जारी किया गया था। विश्वविद्यालय से प्राप्त उत्तरों (मई 2012) को प्रतिवेदन में

उपयुक्त रूप में समाहित किया गया है। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा 18 जनवरी, 2013 को कुलपति के साथ निर्गम बैठक में की गई। मंत्रालय को 11 दिसम्बर 2012 को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 2013)।

2.2 लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

2.2.1 प्राधिकारियों की भूमिका

अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्राधिकारियों जैसे परिषद, कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद एवं वित्त समिति स्थापित की गयी थी। इनके क्रिया-कलाप, सामर्थ्य, प्राधिकारियों की बैठकों की संख्या, संकल्प एवं विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही सम्बंधी अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए।

2.2.1.1 परिषद

परिषद का मुख्य कार्य समय-समय पर विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना, उनके सुधार एवं विकास के उपायों हेतु सुझाव देना है।

अधिनियम न्यायालय द्वारा वार्षिक बैठकें निर्धारित करता है, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली के साथ आय-व्यय विवरण, लेखापरीक्षा तुलनपत्र एवं अगले वर्ष के लिए वित्तीय अनुमानों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेगें (अनुसूची के भाग 8(3))।

यह पाया गया कि 2006-07 से 2011-12 की अवधि में 21 जून 2008 को मात्र एक बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें 31 सदस्यों में से कोरम 25 के प्रति 14 सदस्य उपस्थित थे।

इस प्रकार समय-समय पर विश्वविद्यालय की वृहत नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने एवं विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के उपायों हेतु सुझाव देने की परिषद की क्रियाविधि अप्रभावी पायी गयी।

विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये (मई 2012) बताया गया कि परिषद की बैठकों एवं उसके कोरम को भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।

2.2.1.2 कार्यकारी परिषद (का.प.)

कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय है एवं इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय के राजस्व व सम्पत्ति का प्रबंध एवं देख-रेख करना है तथा इसके प्रशासनिक मामलों को संचालित करना है।

लेखापरीक्षा संविक्षा में आगे पाया गया:

2.2.1.3 वाहनों का क्रय

अविकासात्मक व्यय को रोकने के दृष्टिकोण से 'मितव्ययी उपायों' के अंतर्गत वित्त मंत्रालय ने निर्देशित किया था (जुलाई 2006) कि किसी निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन के लिए भी नये वाहनों का क्रय नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार के आदेश पूर्व में भी जारी किये गये थे (नवम्बर 2005)।

चार स्टाफ कार के क्रय प्रस्ताव हेतु वित्त समिति ने अपनी पहली बैठक में, जो 15 सितम्बर 2006 को आयोजित की गई, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय व वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत वाहन क्रय की संस्तुति प्रदान की। इन आदेशों के अनुसार निष्प्रयोज्य घोषित की जगह नई कार के क्रय हेतु भी वि.अ.आ. की स्वीकृति आवश्यक थी। वित्त समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि वाहनों को भाड़े पर लिये जाने पर विचार किया जाए एवं कुलपति हेतु केवल एक कार क्रय करने की संस्तुति की गयी थी।

जबकि का.प. के बैठक (अक्तूबर 2006) में यह पारित किया गया कि विश्वविद्यालय में चार स्टाफ कार की आवश्यकता थी, जिनको निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर क्रय किया जाए। तदनुसार मार्च 2007 में ₹ 18.24 लाख की धनराशि से चार स्टाफ कार क्रय की गयी थीं।

वि.स. ने अपनी बैठक दिनांक 4 अगस्त 2007 में यह पुनः कहा कि मा.सं.वि.मं. से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

इस प्रकार कार्यकारी परिषद ने सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुये, बिना औचित्य के वि.स. की संस्तुतियों से अलग कार्य किया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी थी।

विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया (मई 2012) कि कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के कार्यों को जारी रखने, प्रबंध करने, वित्त का विनियमन करने एवं संरचना की व्यवस्था करने के लिए सक्षम थी। अतः मा.सं.वि.मं. की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय के निर्देश, स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू थे।

2.2.1.4 वित्त समिति (वि.स.)

वित्त समिति वार्षिक लेखाओं व वित्तीय अनुमानों पर सोच विचार हेतु उत्तरदायी है। यह वर्ष के लिए कुल आवर्ती व अनावर्ती व्यय हेतु सीमाओं की संस्तुति भी करती है। अधिनियम की धारा 13(5) में यह प्रावधान है कि वि.स. प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगी।

यह देखा गया कि नियत से कम संख्या में बैठकें हुईं थी - 2006 व 2007 में प्रतिवर्ष एक, 2008 में दो, 2009 में एक आपातकालीन बैठक एवं 2010 व 2011 में प्रत्येक वर्ष दो। मात्र 2012 में तीन बैठकें जैसा कि निर्धारित थी, की गयी थीं।

विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया (मई 2012) कि वर्ष 2012 से सुधारात्मक उपायों को अपनाया गया है।

अनुशंसा

❖ *प्रभावकारी ढंग से कार्य करने हेतु विभिन्न प्राधिकारियों की बैठकें अपेक्षित समयान्तराल में आयोजित की जानी चाहिए।*

2.2.2 शैक्षिक क्रियाकलाप

2.2.2.1 केन्द्रों का परिचय

XXVIII वें अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय में अन्तर-विषयी अध्ययन संस्थान के 15 केन्द्र[1] होंगे (परिशिष्ट-I)।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आठ केन्द्र उदाहरणार्थ - जैव चिकित्सा चुम्बकीय प्रतिध्वनि केन्द्र, संस्कृति एवं संचार केन्द्र, पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र, बौद्धिक संपदा अधिकार केन्द्र, विकासशील देशों के लिए मोबाइल संचार केन्द्र,

---

[1] केन्द्र से तात्पर्य विश्वविद्यालय की एक इकाई अथवा विश्वविद्यालय संस्थान जो शिक्षा, परामर्श तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है।

सूक्ष्म विज्ञान एवं सूक्ष्म तकनीकी केन्द्र एवं विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र नहीं खोले गये थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि शेष केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय को समयबद्ध ढंग से शेष केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए।*

2.2.2.2 शैक्षिक कार्मिकों की कमी

एक शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक मानक को बनाये रखने के लिए योग्य एवं अनुभवी संकाय की उपलब्धता आवश्यक है। स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति 31 मार्च 2012 को तालिका-1 में दर्शायी गई है:

तालिका-1

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद (स्वीकृत पदों के अनुसार रिक्ति का प्रतिशत)
प्राध्यापक	79	12	67 (85)
रीडर	189	69	120 (63)
व्याख्याता	553	234	319 (58)
कुल	**821**	**315**	**506 (62)**

यह देखा गया कि:

(क) शैक्षिक स्टाफ की कमी 58 से 85 *प्रतिशत* के मध्य थी।

(ख) वि.अ.आ. द्वारा X प्लान के अंतर्गत शैक्षिक स्टाफ में 69 स्वीकृत पदों (मई 2006) में मात्र 29 स्टाफ नियुक्त किए गए, इसी प्रकार ओ.बी.सी. योजना के अंतर्गत शैक्षिक स्टाफ के स्वीकृत 243 पदों में (जुलाई 2008) से मात्र एक की नियुक्ति की गई (मार्च 2012)।

(ग) दो विभाग[2], दो केन्द्र[3] तथा एक संस्थान[4] बिना किसी संकाय के चल रहे थे, इसका पता रिक्त पदों की सूची दिनांक 01.07.2011 से चला।

इस प्रकार स्वीकृत पदों की उपलब्धता होते हुए भी शैक्षिक स्टाफ की भारी कमी के साथ विश्वविद्यालय चल रहा था।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि आरक्षण रोस्टर के प्रयोग के ढंग में वि.अ.आ. की मार्गदर्शिका एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में विरोधाभास है, कि विश्वविद्यालय एक इकाई है, या विभाग एक इकाई है। अन्ततः विश्वविद्यालय ने वि.अ.आ. की मार्गनिर्देशिका का अनुकरण करते हुए रिक्त पदों के भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया। यह भी बताया गया कि कुछ पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं पाये गये।

2.2.2.3 शिक्षक-छात्र अनुपात

वि.अ.आ. द्वारा संस्तुत शिक्षक-छात्र अनुपात निम्न है:

तालिका 2

कार्यक्रम	पी.जी. का अनुपात	वि.अ.आ. का अनुपात
विज्ञान	1:10	1:25
मानविकी/सामाजिक विज्ञान	1:15	1:30
मीडिया व मास कम्यूनिकेशन	1:10	1:15

यद्यपि पूर्णतः शिक्षक-छात्र अनुपात समीक्षा अवधि के दौरान (2006-12) 1:43 से 1:72 के मध्य रहा (परिशिष्ट-2) जो संस्तुति मानक से अधिक था।

2.2.2.4 छात्रों की सफलता दर

कला, वाणिज्य तथा विज्ञान के प्रथम वर्ष के छात्रों की 2007 से 2012 के मध्य सफलता दर का विश्लेषण किया गया **(परिशिष्ट-3)**।

---

[2] दृश्य कला, गृह विज्ञान

[3] जैव सूचना विज्ञान, फिल्म एवं थियेटर

[4] प्रयोगात्मक खनिज विज्ञान एवं शिला विज्ञान का राष्ट्रीय केन्द्र

यह पता चला कि अलग हुए/विफल छात्रों का *प्रतिशत* 11 से 66 के मध्य था। यह देखा गया कि असफलता दर विज्ञान पाठ्यक्रम में अधिक थी (51 से 66 *प्रतिशत*), इसके अतिरिक्त कला व विज्ञान दोनों वर्गों में असफलता दर बढ़ती दिखाई दी।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि विज्ञान संकाय के कुछ छात्र प्रौद्योगिकी/ चिकित्सा संस्थानों में चले गये तथा कुछ छात्र सभी प्रश्नपत्रों में नहीं सम्मिलित हुए। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुए उसकी असफलता का *प्रतिशत* 21 से 42 तक बढ़ा है। आगे कला पाठ्यक्रम में असफलता दर के बारे में कोई उत्तर नहीं था।

अनुशंसा

- ❖ *विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण स्टाफ के रिक्त पदों को भरने हेतु कदम उठाये जाने चाहिये, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।*

2.2.2.5 पूर्व अनुमति के बिना प्रारम्भ किये गये पाठ्यक्रम

भूगोल विभाग में शहर एवं ग्रामीण नियोजन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2003-04 में प्रारम्भ किया गया, जिसके लिए भारतीय नगर योजना संस्थान (भा.न.यो.सं.) की अनुमति की आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय 2009-10 तक लगातार छात्रों को पंजीकृत कर रहा था। इसने पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए मई 2010 में आवेदन किया जिससे भा.न.यो.सं. सहमत नहीं हुआ (अगस्त 2010), क्योंकि भा.न.यो.सं. द्वारा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्राथमिक पूर्वापेक्षा इन्जीनियरिंग में स्नातक (सिविल) या वास्तुकला में स्नातक, आयोजना में स्नातक या अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र/भूगोल में स्नातकोत्तर थी। पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष की अवधि भी आवश्यक थी। इसके विपरीत उक्त पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अर्हता, कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए मात्र एक वर्ष की थी।

इस प्रकार मान्यता न मिलने के कारण पाठ्यक्रम को 2010-11 में बंद कर दिया गया।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि इस पाठ्यक्रम के लिए मान्यता हेतु आवश्यक जानकारी उन्हें नहीं थी तथा विश्वास दिलाया कि नये पाठ्यक्रम केवल उचित मान्यता के बाद ही खोले जायेगें।

2.2.2.6 शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज

शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज (शै.स्टा.कॉ.) की स्थापना 1987 में सेवारत शिक्षकों के लिए कार्यक्रमों के प्रारम्भन तथा पुनश्चर्या हेतु जिसमें प्रत्येक शिक्षक तीन से पांच वर्ष में एक बार सम्मिलित हो सके, की गई थी। प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ही शै.स्टा.कॉ. को एक वार्षिक कैलेन्डर, जिसमें वर्ष के दौरान संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अन्तरिम समय-सारिणी तैयार करनी थी, तथा उस पर वि.अ.आ. की स्वीकृति प्राप्त करनी थी। विगत पांच वर्षों में शै.स्टा.कॉ. द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत है:

तालिका -3

वर्ष	निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (वि.अ.आ. से स्वीकृत)	आयोजित पाठ्यक्रम की संख्या	आयोजित पाठ्यक्रमों में कमी (निर्धारित का *प्रतिशत*)
2006-07	17	14	3 (18)
2007-08	18	13	5 (28)
2008-09	19	14	5 (26)
2009-10	18	15	3 (17)
2010-11	22	16	6 (27)
2011-12	22	15	7 (32)
योग	**116**	**87**	**29 (25)**

यह पाया गया कि शै.स्टा.कॉ. द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या में लगातार गिरावट बनी रही जो 17 से 32 *प्रतिशत* तक थी।

विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कमी के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, विभागों की पुनश्चर्या के संचालन में असमर्थता, छात्रावास की सुविधा न होने तथा देर से प्राप्त वि.अ.आ. की स्वीकृति को दोषी माना।

तथ्य यह थे, कि शै.स्टा.कॉ. स्वयं पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा था एवं निरंतर कमी हो रही थी।

2.2.2.7 पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सतत शिक्षा संस्थान (प.पा. तथा स.शि.सं.)

प.पा. तथा स.शि.सं. की स्थापना 1978 में छात्रों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अवसरों के विकल्प के रूप में की गई थी। वर्ष 2006-07 से 2011-12 के मध्य प.पा. तथा स.शि.शं. द्वारा बी.ए. तथा बी.कॉम में पंजीकरण संतोषजनक था किन्तु बी.ए. पाठ्यक्रम में कमी निम्नवत प्रदर्शित हुई:

तालिका-4

पाठ्यक्रम का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बी.ए.	उ.न.	2905	1920	1723	1286	997
बी.कॉम	उ.न.	1855	2430	3475	3617	2612

इस मामले में कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था।

अनुशंसा

❖ प.पा. तथा स.शि.सं. को बी.ए. में पंजीकरण में कमी के कारणों का मूल्यांकन कर आवश्यक कर्रवाई करनी चाहिए।

2.2.3 गुणात्मक आश्वासन

2.2.3.1आन्तरिक गुणात्मक आश्वासन प्रकोष्ठ

वि.अ.आ. मार्गदर्शिका में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान (उ.शि.सं.) की एक उचित संरचना तथा प्रक्रिया से युक्त आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली होगी जिसमें हितधारियों के विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थान होगा। उद्देश्य के लिए प्रत्येक उ.शि.सं. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आ.गु.आ.प्र.) योजना मार्ग दर्शन तथा गुणवत्ता आवश्सान का अनुश्रवण तथा गुणात्मक वृद्धि गतिविधियों के लिए स्थापित करेगी। अन्य बातों के साथ आ.गु.आ.प्र. वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे विश्वविद्यालय प्रत्यायन हेतु उसे प्रस्तुत करेगी।

जाँच से पता चला कि, यद्यपि आ.गु.आ.प्र. की स्थापना 2008-09 में की गई किन्तु न तो वार्षिक गुणवत्ता निर्धारण रिपोर्ट और न ही कोई आवधिक निर्धारण रिपोर्ट तैयार की गई थी (मार्च 2012)।

इस प्रकार, गुणवत्ता आश्वासन की क्रियाविधि जैसा कि वि.अ.आ. मार्ग निर्देशिका में उल्लिखित है, नहीं पाई गई।

2.2.3.2 राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद

वि.अ.आ. द्वारा राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद (रा.नि.प्र.प.) की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1994 में की गई जिसे विश्वविद्यालय के निष्पादन मूल्यांकन, निर्धारण तथा प्रत्यायन दिलाने के काम सौंपे गये।

यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यायन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (मई 2012) तथा कहा कि प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय रा.नि.प्र.प. गतिविधियों को उचित ढंग से संगठित करके प्रत्यायन के लिए आवेदन करना चाहिए।*

2.2.4 पीठ की स्थापना

विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार से मेघनाद शाहा पीठ की स्थापना, भौतिक विज्ञान की शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए तथा संस्कृत के लिए गंगा नाथ झा पीठ की स्थापना हेतु धनराशि प्रदान की गई थी। इन निधियों के अर्जित ब्याज से व्यय किया जाना था। निधियों एवं पीठ की स्थापना स्थिति (मार्च 2012) निम्नवत थी:

तालिका -5

(₹ लाख में)

पीठ का नाम	धनराशि प्राप्ति तिथि	प्राप्त धनराशि	अर्जित ब्याज (मार्च 2012 तक)	व्यय	पीठ की स्थापना
मेघनाद शाहा	दिसम्बर 1998	70.00	72.16	10.81	स्थापित नहीं
गंगा नाथ झा	मई 1999	50.00	56.97	8.00	फरवरी 2010
	योग		**129.13**	**18.81**	

इस प्रकार यद्यपि मेघनाद शाहा पीठ 1998 में स्वीकृत हुई थी लेकिन भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्षों द्वारा बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद मार्च 2012 तक इसकी स्थापना नहीं हो सकी। ₹ 10.81 लाख की धनराशि पीठ की स्थापना किए बिना सेमिनार व्याख्यान तथा संगोष्ठी पर व्यय की गई। इसी तरह गंगा नाथ झा की स्थापना 2010 में की गई।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि पीठ की स्थापना सम्बन्धी मामलों की जाँच की जाएगी। उत्तर अंतरिम प्रकृति का था।

2.2.5 उपाधि प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह

विश्वविद्यालय के अध्यादेश LXII में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष में अधिकतम एक बार दीक्षान्त समारोह डिग्री प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाएगा। वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गयी उपाधि एवं अन्य पुरस्कार, नियम 2008 में भी प्रावधान है किः

1. उपाधि प्रदान करने की तिथि, छात्रों को उपाधि की अर्हता का अपेक्षित उम्मीदवार होने और उनके पात्र होने के 180 दिनों के भीतर होनी चाहिए।
2. सुनिश्चित की गयी तिथि के 30 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने की तिथि को अधिसूचित करेगा ताकि अभ्यार्थी उसके लिये आवेदन कर सके।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2006-12 की अवधि में दीक्षान्त समारोह नहीं हुए तथा उपाधियाँ छात्रों द्वारा प्रार्थना करने पर प्रदान की गई थीं।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि छात्रों को उपधियाँ उनकी आवश्यकता पर दी गई। उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि विश्वविद्यालय ने वि.अ.आ. प्रावधान के अनुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित क्यों नहीं किए।

2.2.6 अनुसंधान परियोजनाएं

विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में अनुसंधान परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण संघटक है। अनुसंधान परियोजनाएं धनदायी अभिकरणों से, एक से पांच वर्ष तक विभिन्न अवधियों के लिए स्वीकृत की गई थीं।

विश्वविद्यालय ने विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कुल ₹ 35.07 करोड़ (प्रारम्भिक शेष ₹ 2.17 करोड़ जोड़कर) प्राप्त किए। ₹ 14.09 करोड़ को व्यय करते हुए ₹ 20.98 करोड़ का अप्रयुक्त शेष था, जैसा **तालिका-6** में दर्शाया गया हैः

तालिका-6

(₹ करोड में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि	प्रयुक्त धनराशि	अन्तिम अवशेष
2008-09	2.17	3.26	2.36	3.07
2009-10	3.07	5.10	2.70	5.47
2010-11	5.47	15.24	3.46	17.25
2011-12	17.25	9.30	5.57	20.98
	योग	**32.90**	**14.09**	

इस प्रकार विश्वविद्यालय उपरोक्त अवधि के दौरान अपने अनुसंधान अनुदान का मात्र 40 *प्रतिशत* ही उपयोग कर सका।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय के पास विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं के अनुश्रवण करने की कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं थी। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक अनुसंधान की गुणवत्ता जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, पूर्ण परियोजनाएं, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अंतिम तकनीकी रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट के संबंध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

विश्वविद्यालय द्वारा (मई 2012) टिप्पणी को संज्ञान मे लेते हुए बताया कि संकाय अध्यक्ष (अनुसंधान एवं विकास) के कार्यालय की स्थापना अनुसंधान परियोजनाओं के अनुश्रवण तथा उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए की जा चुकी है।

2.2.7 सहायक सेवाएं

2.2.7.1 छात्रावास प्रबन्धन

विश्वविद्यालय के 14 छात्रावासों में से 13 छात्रावासों[5] के उपायोग की स्थिति निम्नवत थी:

[5] 1. गंगा नाथ झा, 2. पी.सी.बेनर्जी, 3. ताराचन्द्र, 4 शताब्दी ब्वायज, 5. एस.एन.गर्ल्स, 6.पी.डी.गर्ल्स, 7. शताब्दी गर्ल्स, 8. इन्टरनेशनल हाउस, 9. अमरनाथ झा, 10. डायमंड जुबली, 11. सर सुन्दर लाल, 12 महादेवी वर्मा, 13. एस. राधा कृष्णन, (14 कल्पना चावला -सूचना नहीं दी गयी)।

तालिका-7

वर्ष	क्षमता	प्रवेशित	रिक्त	अनधिकृत	प्रतीक्षारत छात्रों की संख्या
2006-07	2078	1746	222	110	910
2007-08	2078	1839	212	27	696
2008-09	2167	1991	162	17	1138
2009-10	2180	2076	102	11	1310
2010-11	2455	2182	142	131	1321
2011-12	1783	1459	324	178	उ.न.
योग	**12741**	**11293**	**1164**	**474**	

वर्ष 2011-12 की सूचना नौ छात्रावासों की है।

संचित प्रवेश क्षमता 12741 के प्रति मात्र 11293 छात्रों को ही छात्रावास सुविधा प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त 474 छात्रों का अनधिकृत कब्जा था, तथा वर्ष 2011-12 के दौरान सम्पूर्ण अनधिकृत कब्जा ताराचन्द छात्रावास में देखा गया। अनधिकृत कब्जा एक नियमित लक्षण प्रतीत हुआ।

इस प्रकार अनधिकृत कब्जे तथा रिक्त कमरों के आवंटन न किए जाने से छात्र छात्रावास सुविधा के लिए प्रतीक्षा सूची में थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि रिक्तता का प्रमुख कारण अनधिकृत कब्जा है तथा स्थानीय प्राधिकारियों की मदद से कमरों को खाली कराने के प्रयास किए जायेंगे।

अनुशंसा

❖ विश्वविद्यालय को छात्रावास में अनधिकृत कब्जों से मुक्त करके खाली कमरों को, जो प्रतीक्षा सूची में हैं, को आवंटित करने का अनुश्रवण करना चाहिए।

2.2.7.2 पुस्तकालय प्रबंधन

विश्वविद्यालय में एक केन्द्रीय पुस्तकालय है जिसमें 6,62,380 पुस्तकें तथा जर्नल (मार्च 2012) हैं। वर्ष 2006-12 की अवधि में पुस्तकालय के लिए अनुदान के उपयोग की स्थिति निम्नवत थी:

तालिका-8

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त	उपयोग	अवशेष
2006-07	2.5	2.5	-
2007-08	1.5	1.5	-
2008-09	7.00	4.00	3.00
2009-10	7.00	6.03	0.97
2010-11	6.29	4.25	2.04
2011-12	12.38	4.52	7.86
योग	**36.67**	**22.80**	**13.87**

(क) इस प्रकार विश्वविद्यालय, पुस्तकालय के लिए प्राप्त अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका था।

(ख) वि.अ.आ. द्वारा (2008-09) ₹ 5.00 करोड़ का विशेष अनुदान पुस्तकालय के आधुनिकीकरण एवं इसकी सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसे पुस्तकालय के स्वचलन, रेडियों आवृत्ति पहचान तकनीक (रे.आ.प.त.) कम्प्यूटरीकृत सूची के निर्माण, डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना तथा उसके संग्रह विकास में प्रयुक्त किया जाना था। विश्वविद्यालय मात्र ₹ 2.44 करोड़ ही संग्रह विकास में खर्च कर सका था। पुस्तकालय के स्वचलन, रे.आ.प.त. प्रद्यौगिकी, कम्प्यूटरीकृत सूची तथा डिजीटल लाइब्रेरी प्रयोगशाला की स्थापना के कार्य निधियों की उपलब्धता होने पर भी नहीं कराए गए।

उत्तर में विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2012) कि अवशेष अनुदान के उपयोग के प्रयास किए जा रहे थे।

(ग) दो फ्यूमीगेशन चैम्बर 2005 में ₹ 0.33 लाख में पुस्तकों को रासायनिक उपचार द्वारा विसंक्रमित करने हेतु क्रय किये गये किन्तु उसका उपयोग प्राप्ति के समय से ही विशेषज्ञ व्यक्ति की कमी के कारण नहीं किया गया।

(घ) इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय के पास अपने संसाधनों के संरक्षण की कोई मार्ग-दर्शिका नहीं थी। यह पाया गया कि बहुत कीमती पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो गयी थीं।

चित्र-1: क्षतिग्रस्त पुस्तकें

विश्वविद्यालय ने इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि (मई 2012) कि इस संबंध में मार्ग निर्देर्शिका बनायी जायेगी तथा इस उद्देश्य से संरक्षण सहायक पद सृजित किया जायेगा।

(ड़) क्लोज सर्किट टेलीवीजन कैमरे (सी.सी.टी.वी.) पुस्तकालय में 2003 में स्थापित किए गए थे, किन्तु क्रियाशील नहीं थे (मार्च 2012)। आगे, अग्नि शमन के सुरक्षात्मक उपाय स्थापित नहीं किए गए थे।

(च) सामान्य वित्तीय नियम (सा.वि.नि.) 194 में प्रावधान है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 50 हजार से अधिक है तो उनका भौतिक सत्यापन तीन वर्ष के अंतराल पर किया जाना चाहिए किन्तु पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने पर भी नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय ने स्वीकार करते हुए कहा (मई 2012) कि स्टाफ की कमी तथा संकलन के सूचीबद्ध न होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो सका।

अनुशंसा

- *विश्वविद्यालय को अपने पुस्तकालय संसाधनों के संरक्षण के लिए क्रियाविधि अपनानी चाहिए।*
- *पुस्तकों का भौतिक सत्यापन आवधिक रूप से सा.वि.नि. 194 के अनुसार किया जाना चाहिए।*

2.2.8 वित्तीय प्रबन्धन

2.2.8.1 बजट एवं व्यय

विश्वविद्यालय मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों से वित्तपोषित होता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के राजस्व के अन्य स्त्रोत छात्रों से प्राप्त शुल्क, निवेश एवं बचत खातों से प्राप्त ब्याज है।

वर्ष-वार प्राप्त अनुदान तथा उपयोग का विवरण निम्न है:-

तालिका-9

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अभिवृद्धि (अनुदान तथा अन्य प्राप्तियां)	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल उपयोगिता धनराशि	अंतिम अवशेष
2006-07	38.53	121.69	160.22	95.42	64.80
2007-08	64.80	134.24	199.04	140.52	58.52
2008-09	58.52	165.25	223.77	164.63	59.14
2009-10	59.14	200.64	259.78	227.14	32.64
2010-11	32.64	258.20	290.84	199.70	91.14
2011-12	91.14	219.88	311.02	213.87	97.15

विश्वविद्यालय उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं कर सका, फलतः अवशेष धनराशि 2006-07 में ₹ 64.80 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 97.15 करोड़ हो गयी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मई 2012) कि अगले वर्ष के अप्रैल में कार्यों से संबंधित व्ययों एवं भुगतानों को पूरा करने के लिए तर्कसंगत अवशेष की आवश्यकता थी। आगे यह भी बताया गया कि कुछ अवशेष धनराशि प्रतिबद्ध व्ययों को पूरा करने के लिए थी।

2.2.8.2 अनुरक्षण अनुदान का अपवर्तन

मा.सं.वि.मं. ने अपने पत्राचार दिनांक 13 नवम्बर 2003 द्वारा वि.अ.आ. को निर्देश दिया, जिसे सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रचारित किया गया कि एक संस्थान का बजट किसी भी स्थिति में भ.नि. अंशदान पर संस्थान की ब्याज देयता तथा उसके निवेश से प्राप्त आय के मध्य कमी को पूरा करने के लिए नहीं बढ़ाया जायेगा। यदि पी.एफ. अंशदान पर ब्याज की देयता तथा भविष्य निधि के निवेश पर अर्जित आय में कमी आती है तो संस्थान के पास कम दर से ब्याज का भुगतान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, जब तक कि संस्थान की वित्तीय स्थिति सरकार द्वारा सूचित दर से ब्याज के अनुसरण करने की अनुमति न दें।

वि.स. की दूसरी बैठक (अगस्त 2007) में निर्णय लिया गया कि सामान्य भविष्य निधि की अतिरिक्त धनराशि को अल्पकालीन अवधि की जमाओं में, जो बैंक ऊँची दर से ब्याज दे रहे हैं, निवेश किया जाए। आगे कहा गया कि किसी कमी को पूरा करने के लिए अनुरक्षण अनुदान का सहारा न लिया जाए।

विश्वविद्यालय द्वारा सा.भ.नि. अवशेष का बैंकों में 5.5 से 11.25 *प्रतिशत* के मध्य विनियोग किया गया, परिणामस्वरूप 2008-12 के मध्य घोषित ब्याज दर का भुगतान किए जाने पर ₹ 4.49 करोड़ की कमी हुई।

2008-09 से 2009-10 में कमी को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने ₹ 1.31 करोड़ का अनुरक्षण मद से अपवर्तन किया। (₹ 43.63 लाख मार्च 2010 तथा ₹ 87.66 लाख मार्च 2011) बाद के वर्षों 2010-11 एवं 2011-12 में ₹ 3.81 करोड़ की कमी थी।

विश्वविद्यालय ने कहा (मई 2012) कि सा.भ.नि. के ब्याज का भुगतान एक सांविधिक सेवा व्यय है जिसे अनुरक्षण अनुदान से पूरा किया गया तथा यह अपवर्तन नहीं था।

विश्वविद्यालय की कार्यवाही स्पष्टतया मा.सं.वि.मं./वि.अ.आ. के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती थी।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय को मा.सं.वि.मं./वि.अ.आ. के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को सा.भ.नि. खाते पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए।*

2.2.8.3 परिवहन भत्ता का अनियमित भुगतान

पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के तारतम्य में भारत सरकार ने 1 अगस्त 1997 से कर्मचारियों को निवास स्थान से कार्यस्थल तक के मध्य किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु परिवहन भत्ता स्वीकृत किया था। उक्त आदेश के क्रम में परिवहन भत्ता उन कर्मचारियों को देय नहीं था, जिनकी अनुपस्थिति की अवधि कार्यस्थल छुट्टी, प्रशिक्षण, भ्रमण के कारण तीस दिन से अधिक हो।

प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षण स्टाफ के लिए ग्रीष्म अवकाश 7 मई से 15 जुलाई तक घोषित करती है। तदनुसार प्रत्येक वर्ष जून माह में परिवहन भत्ता देय नहीं था। यद्यपि इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालयों ने

शिक्षण स्टाफ को जून माह के परिवहन भत्ते का भुगतान किया। 2006-07 से 2011-12 के मध्य कुल ₹ 50.97 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया।

उत्तर में विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि ग्रीष्म अवकाश न तो कार्य से अनुपस्थिति है और न ही वि.नि./से.नि. की श्रेणी में आता है। इसके अलावा, शिक्षण स्टाफ अनुसंधान/परीक्षा/प्रवेश परीक्षा इत्यादि में विभाग/कार्यालय में उपस्थिति हुआ। विश्वविद्यालय का उत्तर घोषित अवकाश में परिवहन भत्ते के भुगतान को न्याय संगत नहीं ठहराता।

2.2.9 संरचनात्मक प्रबंधन

2006-07 से 2011-12 के मध्य कुल 16 भवन परियोजनाएं निर्माण के लिए ली गई जिनमें सात परियोजनाएं[6] पूर्ण हो चुकी थीं, तीन परियोजनाएं शुरू होनी थीं तथा छः परियोजनाएं प्रगति पर थीं, यद्यपि उनकी अनुबंध अवधि पूर्ण हो चुकी थी।

परिसर के संरचनात्मक विकास के लिए 16 परियोजनाओं पर आवंटन तथा व्यय क्रमशः ₹ 180.26 करोड़ तथा ₹ 90.66 करोड़ था।

विश्वविद्यालय ने भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए अवमुक्त धनराशि तथा अप्रयुक्त अवशेष के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी। अभिलेख व्यक्तिगत कार्य की पत्रावली सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निम्न टिप्पणी की जाती है।

2.2.9.1 33/11 के.वी. उपकेन्द्र

जाँच से पता चला कि 33/11 के.वी. उपकेन्द्र के पूर्ण हो जाने पर भी विद्युत आपूर्ति संयोजन हेतु भूमिगत केबल, जिसे रेलवे लाईन से होकर गुजरना था, के अभाव में इसे चालू नहीं किया जा सका। रेलवे प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। जब विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत हेतु निवेदन किया गया (नवम्बर 2010) रेलवे प्राधिकारियों द्वारा 10 वर्ष के लिए ₹ 13.37 लाख (जून 2011) के लीव चार्जेज मांगे गये, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

---

[6] पूर्ण कार्यः 1. पी.सी.बी. कॉम्पलैक्स -प्रथम चरण में लड़कों के छात्रावास का निर्माण, 2. पी.सी.बी. कॉम्पलैक्स -द्वितीय चरण में लड़कों के छात्रावास का निर्माण, 3. 33/11 के.वी. का सब-स्टेशन की संस्थापना, 4. लड़कियों के छात्रावास का निर्माण, 5. ऊपरी टैंक, 6. विधि पांच वर्षीय भवन-प्रथम चरण, 7. 24-टाइप -II क्वार्टर।

इस प्रकार रेलवे से स्वीकृति प्राप्त न होने पर उपकेन्द्र कार्य प्रारम्भ नहीं कर सका।

विश्वविद्यालय ने उत्तर में बताया (मई 2012) कि रेलवे से लीव चार्जेज की माफी के लिए प्रार्थना की गई थी। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के निवेदन पर उत्तर देने में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई।

पूर्व अनुमति अथवा उचित अनुश्रवण के अभाव में उपकेन्द्र पुनः निष्क्रिय रहा।

2.2.9.2 विरासत भवन

विश्वविद्यालय 125 वर्ष पुराना है, इसके बहुत से विरासत भवन हैं। इन भवनों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार के लिए दसवीं योजना में ₹ 3.00 करोड़ तथा ग्यारहवीं योजना में ₹ 5.15 करोड़ वि.अ.आ. द्वारा आवंटित हुआ था। विजयनगरम हॉल के संरक्षण हेतु भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर न्यास (भा.रा.क.सं.ध.न्या.) द्वारा प्रारम्भिक आकलन ₹ 3.45 करोड़ का तैयार कर प्रस्तुत किया गया (जनवरी 2008)। बाद में कार्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट आधार पर राइट्स को दिया गया (अप्रैल 2009) जिसने जून 2011 में ₹10.87 करोड़ का प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत किया। राइट्स द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, क्योंकि एजेन्सी को अग्रिम का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार कार्य को प्रदान करने में देरी के परिणामस्वरूप लागत मे बढ़ोत्तरी हुई तथा इस विरासत भवन की अधोगति की रोकथाम हेतु संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका (मार्च 2012)।

चित्र 2 दरभंगा हॉल की जीर्ण-शीर्ण दशा

चित्र -3 टूटा हुआ अशोक स्तम्भ

यह देखा गया कि कई अन्य मूर्तियाँ/भित्तियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी थीं, जिनकी मरम्मत के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था। दरभंगा हॉल में स्थित अशोक स्तम्भ टूटा हुआ था। (ऊपर चित्र 2 तथा 3)।

विश्वविद्यालय ने बताया कि संरक्षण एक विशिष्ट कार्य था, तथा वह अपनी विरासत के लिए सजग भी था, तथा संरक्षण कार्य प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाये जा रहे थे। आगे बारहवीं योजना में अन्य विरासत भवनों के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए प्रस्ताव सम्मिलित किया गया था।

2.2.10 निष्कर्ष

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2006-2012 की अवधि आच्छादित थी, में पता चला कि प्राधिकारियों की बैठकें निर्धारित समयान्तराल में नहीं की गई, केन्द्रों के खोले जाने के उद्देश्य नहीं प्राप्त किए गए, शिक्षण स्टाफ की कमी थी, विश्वविद्यालय, गुणवत्ता आश्वासन के सम्बन्ध में अपनी गतिविधियां संगठित नहीं कर सका, अनुसंधान कार्यों का अनुश्रवण नहीं हो सका तथा अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। इसके द्वारा अनुरक्षण अनुदान का अपने कर्मचारियों को सा.भ.नि. खातों पर ब्याज के भुगतान में अपवर्तन किया गया।

परिशिष्ट-1

केन्द्रों की स्थिति

(पैराग्राफ 2.2.2.1)

क्रमांक	केन्द्रों का नाम जिन्हें स्थापित करना था।	वर्ष जिसमें स्थापित हुए
1.	जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र	2000
2.	के. बैनर्जी वायुमंडलीय एवं समुद्री अध्ययन केन्द्र	2000-2001
3.	जैव सूचना विज्ञान केन्द्र	2002
4.	भौतिक विज्ञान केन्द्र	2009
5.	वैश्वीकरण अध्ययन केन्द्र	2010
6.	मेघनाद साहा अंतरिक्ष अध्ययन केन्द्र	स्थापित
7.	महिला अध्ययन केन्द्र	स्थापित
8.	जैव चिकित्सा चुम्बकीय प्रतिध्वनि केन्द्र	स्थापित नहीं
9.	संस्कृति एवं संचार केन्द्र	स्थापित नहीं
10.	पर्यावरण अध्ययन केन्द्र	स्थापित नहीं
11.	मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र	स्थापित नहीं
12.	बौद्धिक संपदा अधिकार केन्द्र	स्थापित नहीं
13.	विकासशील देशों के लिए मोबाइल संचार केन्द्र	स्थापित नहीं
14.	सूक्ष्म विज्ञान एवं सूक्ष्म तकनीकी केन्द्र	स्थापित नहीं
15.	विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन	स्थापित नहीं

परिशिष्ट-2

शिक्षक - छात्र अनुपात

(पैराग्राफ 2.2.2.3 देखें)

वर्ष	शिक्षक संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात
2006-07	346	19609	1:57
2007-08	338	24432	1:72
2008-09	335	14357	1:43
2009-10	347	20420	1:59
2010-11	347	16173	1:47
2011-12	315	22615	1:72

परिशिष्ट-3
असफल एवं अलग हुए की दर
(पैराग्राफ 2.2.2.4 देखें)

वर्ष	छात्रों की संख्या जो परीक्षा में सम्मिलित हुए	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	छात्रों की संख्या			छात्रों की संख्या का प्रतिशत जो सम्मिलित हुए		
			असफल	अलग हुये/अनुपस्थित	योग	असफ	अलग हुये/अनुपस्थित	योग
बी.ए.प्रथम								
2007	2746	2047	471	228	699	17	8	25
2008	2770	2155	412	203	615	15	7	22
2009	2861	2228	388	245	633	14	8	22
2010	3324	2436	596	292	888	18	9	27
2011	4032	2952	709	371	1080	18	9	27
2012	11041	7379	2538	1124	3662	23	10	33
बी.एस.सी. प्रथम								
2007	821	400	226	195	421	28	23	51
2008	751	337	159	255	414	21	34	55
2009	761	317	212	232	444	28	30	58
2010	922	402	223	297	520	24	32	56
2011	1087	489	276	322	598	25	30	55
2012	3358	1168	1395	795	2190	42	24	66
बी.कॉम. प्रथम								
2007	468	339	129	0	129	28	0	28
2008	468	415	27	26	53	6	5	11
2009	473	388	33	52	85	7	11	18
2010	536	475	29	32	61	5	6	11
2011	642	540	53	49	102	8	8	16
2012	3871	2824	753	294	1047	19	8	27